संख्या-772/2026/आई/1511178/23-1-26/002-23-1002(002)/386/2026

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 **लखनऊ: दिनांक 02 नवम्बर, 2026**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रदेश के अन्तर्राज्यीय/अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर पडने वाले मार्गों का निर्माण/चौडीकरण/सुदृढीकरण योजना के चालू कार्यों के लिए धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के निम्नलिखित तालिका-1 में उल्लिखित पत्रों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के अन्तर्राज्यीय/अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर पडने वाले मार्गों का निर्माण/ चौडीकरण/सुदृढीकरण योजनान्तर्गत विभिन्न जनपदों के 08 चालू कार्यों पर अधोलिखित विवरण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 में **तालिका-2 के अनुसार** कुल **रू0 22,88,04,000/- (रूपये बाइस करोड़ अठ्ठासी लाख चार हजार मात्र)** की धनराशि निम्नलिखित शर्तों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

तालिका-1

क्र0 सं0	विश्वकर्मा पोर्टल का पत्र संख्या	दिनांक
1	25198/CE-HQ1/ISC/MBD/2026-27	21-10-2026
2	25199/CE-HQ1/ISC/SAH/2026-27	21-10-2026
3	25202/CE-HQ1/ISC/JHA/2026-27	21-10-2026
4	25224/CE-HQ1/ISC/MBD/2026-27	23-10-2026
5	25277/CE-HQ1/ISC/AGR/2026-27	28-10-2026
6	25284/CE-HQ1/ISC/GON/2026-27	28-10-2026
7	25286/CE-HQ1/ISC/SAH/2026-27	28-10-2026

तालिका-2

(धनराशि रूपये लाख में)

क्र0 स0	जनपद/ खण्ड का नाम	कार्य का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/ प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/ गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/ बचत के उपरान्त लागत	अब तक आवंटन	स्वीकृति लागत में पांच वर्षीय अनुरक्षण की लागत	बचत एवं अनुरक्षण घटाकर अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	प्रा.ख. रामपुर	जनपद रामपुर के स्वार किला खेड़ा से बाजपुर गदरपुर उत्तराखण्ड सीमा	421/2025/I/1135267/2025/23-11099-099/104/2025 - दिनांक-07-11-2025	4424.39 4424.39 1725.84 814.21 3610.18	1451.88	74.75	2083.55	400.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र0 स0	जनपद/ खण्ड का नाम	कार्य का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/ प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/ गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/ बचत के उपरान्त लागत	अब तक आवंटन	स्वीकृति लागत में पांच वर्षीय अनुरक्षण की लागत	बचत एवं अनुरक्षण घटाकर अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		तक मार्ग के चैनेज 0.000 से 12.100 (लम्बाई 12.100 किमी0) तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य						
2	नि.ख.-3 सहारनपुर	जनपद सहारनपुर में हरियाणा उत्तर प्रदेश की सीमा से नकुड़ सहारनपुर मार्ग (एम0डी0आर0-147डब्लू) तक दो लेन मार्ग के नवनिर्माण का कार्य (पेव्ड शोल्डर सहित) (लम्बाई 12.60 कि0मी0)	153/2025/I/907408/2025 - दिनांक-17-03-2025	11834.40 11834.40 4997.52 10.01 11824.39	5100.00	150.92	6573.47	500.00
3	नि.ख. ललितपुर	बांसी जखौरा मार्ग (अन्य जिला मार्ग) के कि0मी0 1 से 15.77 (मध्य प्रदेश सीमा तक) में चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य। (लम्बाई 15.770 किमी0)	285/2021/83(आ)/23-11-2020-1/2(56)/2021, दि0-22.03.2021-दिनांक-22-02-202 1	1938.35 1938.35 1477.25 0.00 1938.35	1861.91	0.00	76.44	76.43
4	नि.ख.-2 बिजनौर	जनपद बिजनौर में जसपुर धामपुर माग[(अन्य जिला मार्ग) के चैनेज 6.000 से 18.360 तक (लम्बाई 12.360 किमी) का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	188/2025/I/923386/2025/23-11099(099)/329/2024-दिनांक-29-03-2025	3339.31 3339.31 2137.40 115.30 3224.01	2730.00	67.79	426.22	171.61
5	नि.ख.-2 बिजनौर	जनपद बिजनौर में नगीना रायपुर कोटकादर लालवाला कोटद्वार (अ0जि0मा0) के चैनेज 0.000 से 21.450 तक 7.00 मी0 में सुदृढ़ीकरण एवं चैनेज 21.450 से 32.050 तक 5.50 मी0 से 7.00 मी0 में मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण (लम्बाई 32.050 किमी0) कार्य	322/2025/I/1103503/2025/23-11099-099/103/2025-दिनांक-27-09-2025	4498.16 4498.16 2773.88 22.65 4475.51	999.63	86.94	3388.94	600.00
6	प्रा.ख. आगरा	जनपद आगरा में एन0एच0-123 से धौरौली (नगला पंजाबी) वाया उत्तू	284/2025/आई/1087955-दिनांक-13-09-2025	924.67 924.67 440.69 178.88	527.40	21.11	197.28	140.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 स0	जनपद/ खण्ड का नाम	कार्य का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/ प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/ गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/ बचत के उपरान्त लागत	अब तक आवंटन	स्वीकृति लागत में पांच वर्षीय अनुरक्षण की लागत	बचत एवं अनुरक्षण घटाकर अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		सामरा मार्ग (लम्बाई 7.400 किमी0) का चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य।		745.79				
7	प्रा.ख. बहराइच	जनपद बहराइच में एन0एच0-730 एच0 के किमी0 4 से रजनवा एस0एस0बी0 चौकी (अ0जि0मा0) मार्ग (लम्बाई 13.910 किमी0) का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य	13/2025/आई/1170107/2025/001-23-11099-099-99-2025-दिनांक-10-12-2025	5513.00 5513.00 3095.79 69.61 5443.39	2623.76	93.31	2726.32	300.00
8	नि.ख. सहारनपुर	जनपद सहारनपुर में देवबन्द से वास्तम, रास्तम, भवनपुर, बचीटी, षिवपुर होते हुए उत्तराखण्ड सीमा के चैनेज 18.800 से 21.700 तक (अन्य जिला मार्ग) (लम्बाई 2.900 कि0मी0) मार्ग के चैड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण का कार्य।	347/2024/आई/753033/2024/23-11099(099)/216/2024 दि0-25.09.2024-दिनांक-25-09-2024	817.51 817.51 359.60 113.37 704.14	321.75	14.53	367.86	100.00
							कुल योग-	2288.04

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1) प्रश्नगत चालू कार्यो हेतु आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तो के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों, स्थाई आदेशों आदि का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत कार्यो हेतु आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्यो के सपंरिक्षित लेखा निर्धारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपरोक्त परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश की समस्त शर्तो एवं प्रतिबन्ध का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) लोक निर्माण विभाग में सी0सी0एल0 प्रणाली समाप्त किए जाने के फलस्वरूप वर्क्स से सम्बन्धित बजट के ऑन लाइन आवंटन किए जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04-05-2022 तथा कार्यमदों के व्यय को सी0सी0एल0 प्रणाली से मुक्त रखते हुए सामान्य कोषागार प्रणाली से आच्छादित किए जाने के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2022/ए-2-76/दस-2022-10(9)/95, दिनांक 13-04-2022 में निहित व्यवस्था/शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय किए जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में निर्धारित प्रक्रिया एवं निहित शर्तो का अक्षरश: अनुपालपन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय कुल **रू0 22,88,04,000/- (रूपये बाइस करोड़ अठ्ठासी लाख चार हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या-58 लेखा शीर्षक 5054043371700 प्रदेश के अन्तर्राज्यीय/अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर पड़ने वाले मार्गों का निर्माण/चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

राजेश प्रताप सिंह
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
5- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
6- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
8- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
9- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
10- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-8/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1, उ0प्र0 शासन।
12- राज्य योजना आयोग-1/2, उ0प्र0 शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

13- अधीक्षण अभियन्ता, नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
14- लोक निर्माण अनुभाग-1/9/10/12 एवं 14, उ0प्र0 शासन।
15- नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
16- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अभिषेक गंगवार
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।